



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता- 700 001

वेबसाइट : <https://teaboard.gov.in>

दूरभाष : 033-2235 1331

ई-मेल : secretary.tbi-wb@gov.in Extn.: 278

संदर्भ सं.11(2)/एलसी/विविध.मुद्दे/डब्लूएल/2021/ 294

दिनांक: 02.12.2022

परिपत्र

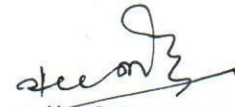
विषय: लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्रों में संशोधन के लिए आवेदन शुल्क का कार्यान्वयन

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्रों के संबंध में संशोधन के लिए आवेदन शुल्क लागू कर दिया गया है।

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	संशोधन का प्रकार	संशोधित शुल्क
1	निर्यातक	नाम और पता परिवर्तन	रु.1000 जोड़ प्रयोज्य जीएसटी
2	स्थायी निर्यातक	नाम और पता परिवर्तन	रु.1000 जोड़ प्रयोज्य जीएसटी
3	नई इकाई के लिए आईओआर	त्वरित/गैर-त्वरित योजना के तहत क्षमता वृद्धि	रु.2000 जोड़ प्रयोज्य जीएसटी
4	भांडागार	फर्श क्षेत्रफल का संशोधन	रु.2000 जोड़ प्रयोज्य जीएसटी
5	क्रेता	नाम और पता परिवर्तन	रु.1000 जोड़ प्रयोज्य जीएसटी

उपरोक्त आवेदन शुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मामलों के लिए लागू है। ऑफलाइन लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्रों में संशोधन के मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आवेदन शुल्क और लागू जीएसटी का भुगतान टी बोर्ड (चाय निधि) लेखा (संग्रह) संख्या 11107799307 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाना है।

यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव

वितरण:

1	सर्व चाय उत्पादक संघ	सूचना हेतु
2	सर्व क्रेता संघ	
3	सर्व निर्यातक संघ	
4	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी	
5	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कूनूर	
6	उपनिदेशक, टी बोर्ड, सिलिगुड़ी	
7	उपनिदेशक, टी बोर्ड, जलपाईगुड़ी	
8	प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपुर	